



**INFUSION NOTES**  
WHEN ONLY THE BEST WILL DO



**LATEST  
EDITION**

# RAS

**RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION**

**मुख्य परीक्षा हेतु**

**HANDWRITTEN NOTES**

**[भाग - 7]**

**भारत + विश्व + राजस्थान की राजव्यवस्था**



# RAS

## RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

मुख्य परीक्षा हेतु

भाग - 7

भारत + विश्व + राजस्थान की राजव्यवस्था

## प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "RAS (Rajasthan Administrative Service) (मुख्य परीक्षा हेतु)" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Exams" मुख्य भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे।

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशक:

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : [contact@infusionnotes.com](mailto:contact@infusionnotes.com)

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

**Whatsapp करें - <https://wa.link/9qwi7z>**

**Online order करें - <https://bit.ly/4lwfgPD>**

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम (2023)

भारतीय संविधान, राजव्यवस्था और विश्व राजनीति		
क्र.सं.	अध्याय	पेज नं.
1.	<b>संविधान निर्माण</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• राजव्यवस्था का परिचय</li><li>• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि</li><li>• संविधान सभा</li><li>• सारांश</li><li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li></ul>	1-13
2.	<b>भारतीय संविधान की विशेषताएँ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या</li><li>• भारतीय संविधान के स्रोत</li><li>• भारतीय संविधान के आलोचनात्मक तथ्य</li><li>• सम्पूर्ण अनुच्छेद एवं भाग</li><li>• सारांश</li><li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li></ul>	14-32
3.	<b>संविधान संशोधन</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• संविधान संशोधन की प्रक्रिया</li><li>• साधारण बहुमत</li><li>• विशेष बहुमत</li></ul>	33-43

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति</li> <li>• प्रमुख संशोधन</li> <li>• सारांश</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> <li>• मूल ढांचा (बुनियादी संरचना)</li> </ul>	
4.	<p><b>वैचारिक तत्व</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• उद्देशिका (प्रस्तावना)</li> <li>• मौलिक अधिकार <ul style="list-style-type: none"> <li>○ मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ</li> <li>○ मौलिक अधिकारों की व्याख्या</li> <li>○ मौलिक अधिकारों की आलोचना</li> <li>○ मूल अधिकारों के महत्व</li> <li>○ सारांश</li> <li>○ मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul> </li> <li>• नीति निदेशक तत्व <ul style="list-style-type: none"> <li>○ नीति निदेशक तत्व की व्याख्या</li> <li>○ मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्वों में अन्तर</li> <li>○ नीति निदेशक तत्वों की कुछ टिप्पणी</li> <li>○ नीति निदेशक तत्व की विशेषताएँ</li> </ul> </li> </ul>	43-79

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ मूल अधिकारों एवं नीति-निदेशक तत्वों में टकराव</li> <li>○ नीति निदेशक तत्वों की आलोचना</li> <li>○ सारांश</li> <li>○ मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● मूल कर्तव्य <ul style="list-style-type: none"> <li>○ मूल कर्तव्यों का विवरण</li> <li>○ मूल कर्तव्यों की विशेषताएं</li> <li>○ मूल कर्तव्यों से सम्बंधित समितियां</li> <li>○ मूल कर्तव्यों की आलोचना</li> <li>○ प्रासंगिकता</li> <li>○ मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव</li> <li>○ सारांश</li> <li>○ मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul> </li> </ul>	
5.	<p><b>राष्ट्रपति</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● कार्यपालिका का प्रमुख</li> <li>● स्थायी कार्यपालिका एवं अस्थायी कार्यपालिका</li> <li>● राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ / योग्यताएं</li> <li>● निर्वाचन प्रणाली</li> <li>● निर्वाचन से संबंधित विवाद</li> </ul>	79-102

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• राष्ट्रपति पर महाभियोग</li> <li>• राष्ट्रपति के कार्य / शक्तियां</li> <li>• राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति</li> <li>• सारांश</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	
6.	<p>प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रधानमंत्री की नियुक्ति</li> <li>• प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य</li> <li>• सरकार की प्रधानमंत्री प्रणाली</li> <li>• प्रधानमंत्री पद पर गठबंधन की राजनीति का प्रभाव</li> <li>• प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन</li> <li>• मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति और कार्यकाल</li> <li>• मंत्रिपरिषद् की संरचना</li> <li>• मंत्रिपरिषद् के कार्य</li> <li>• मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व</li> <li>• प्रधानमंत्री की भूमिका</li> <li>• किचन कैबिनेट</li> <li>• वे मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री बने</li> <li>• मंत्रिपरिषद् और मंत्रीमंडल में अन्तर</li> <li>• सारांश</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	103-112

7.	<p><b>भारतीय संसद</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• लोकसभा</li> <li>• राज्यसभा</li> <li>• संसद में नेता</li> <li>• विपक्ष का नेता</li> <li>• संयुक्त बैठक अनुच्छेद- 108</li> <li>• संसदों की निर्हताएँ</li> <li>• सांसदों के विशेषाधिकार</li> <li>• सचेतक / Whip</li> <li>• भारत की लोकसभायें</li> <li>• संसद की कार्यवाही</li> <li>• कार्य मन्त्रणा समिति</li> <li>• <i>Lame Duck</i></li> <li>• बजट का प्रस्तुतीकरण</li> <li>• धन-विधेयक (अनुच्छेद- 110)</li> <li>• अध्याक्षात्मक शासन व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष</li> <li>• सारांश</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	113-129



8.	<p>केन्द्र- राज्य संबंध</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• विधायी संबंध</li> <li>• प्रशासनिक संबंध</li> <li>• वित्तीय संबंध</li> <li>• केन्द्र और राज्य के मध्य तनाव उत्पन्न होने के कारण</li> <li>• केन्द्र - राज्य समक्षों ने सुधार के उद्देश्य से गठित आयोग</li> <li>• केन्द्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद</li> <li>• सारांश</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	129-132
9.	<p>उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अनुच्छेद - 124</li> <li>• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता</li> <li>• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया</li> <li>• सुप्रीम कोर्ट की भूमिका</li> <li>• राष्ट्रपति का सलाहकार</li> <li>• उच्च न्यायालय</li> <li>• न्यायिक पुनरावलोकन / समीक्षा</li> <li>• मुख्य न्यायाधीश समन्ना की न्यायिक समीक्षा पर टिप्पणी</li> </ul>	132-148

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• संसद और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य सर्वोच्चता संघर्ष</li> <li>• न्यायिक सक्रियता</li> <li>• सारांश</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	
10.	<b>निर्वाचन आयोग</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संरचना</li> <li>• प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त</li> <li>• आयोग के सदस्यों की पदावधि तथा पद से हटाया जाना</li> <li>• बहुसदस्यी निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्थिति</li> <li>• निर्वाचन आयोग का कार्य</li> <li>• वयस्क मताधिकार का सिद्धांत (अनु. 326)</li> <li>• चुनाव सुधार समस्याएं और समाधान की संभावनाएं</li> <li>• सारांश</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	149-155
11.	<b>नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अनुच्छेद - 148 -151</li> </ul>	155-157

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• नियुक्ति की शर्तें</li> <li>• शक्तियां एवं कार्य</li> <li>• CAG की भूमिका</li> <li>• सारांश</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	
12.	<b>नीति आयोग</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• नीति आयोग की संरचना</li> <li>• नीति आयोग के उद्देश्य</li> <li>• नीति आयोग के कार्य</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	158-160
13.	<b>केंद्रीय सतर्कता आयोग</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• पृष्ठभूमि</li> <li>• संरचना</li> <li>• कार्य</li> <li>• लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013</li> <li>• CVC की सीमाएँ</li> <li>• निष्कर्ष</li> <li>• सारांश</li> <li>• प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	160-166

14.	<p>संघ लोक सेवा आयोग</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• संघ लोक सेवा आयोग से सम्बंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद</li><li>• संघ लोक सेवा आयोग की संरचना</li><li>• संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल व पदच्युति</li><li>• संघ लोक सेवा आयोग के कार्य</li><li>• सीमाएं</li><li>• आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति</li></ul>	166-168
15.	<p>केंद्रीय सूचना आयोग</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• सूचना का अधिकार</li><li>• केंद्रीय सूचना आयोग</li><li>• केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना</li><li>• कार्यकाल एवं सेवा शर्तें</li><li>• केन्द्रीय सूचना आयोग की शक्तियां एवं कार्य</li><li>• सूचना प्राप्त करने के आवेदन कैसे दाखिल किया जाता है</li><li>• सारांश</li><li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li></ul>	168-172
16.	<p>राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• आयोग का गठन</li></ul>	173-175

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• आयोग के प्रमुख कार्य</li> <li>• आयोग की कार्य प्रणाली</li> <li>• आयोग की भूमिका</li> <li>• सारांश</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	
17.	<p>राजनीतिक गत्यात्मकताएं</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका,</li> <li>• राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार,</li> <li>• नागरिक समाज एवं राजनीतिक आंदोलन,</li> <li>• राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे,</li> <li>• सामाजिक- राजनीतिक संघर्ष के संभावित क्षेत्र</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	175-183
18.	<p>राजस्थान की राज्य राजनीति</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• राज्य की राजनीतिक व्यवस्था (परिचय)</li> <li>• राज्यपाल</li> <li>• मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्</li> <li>• राज्य विधान मण्डल व विधानसभा</li> <li>• उच्च न्यायालय</li> <li>• जिला प्रशासन</li> <li>• स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था</li> </ul>	184-244

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• राजस्थान लोक सेवा आयोग</li> <li>• राज्य मानवाधिकार आयोग</li> <li>• लोकायुक्त</li> <li>• राज्य निर्वाचन आयोग</li> <li>• राज्य सूचना आयोग</li> <li>• सारांश</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	
	<b>विश्व राजनीति</b>	
1.	<p>शीत युद्धोत्तर दौर में उदीयमान विश्व-व्यवस्था</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व एवं इसका प्रतिरोध</li> <li>• अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता</li> <li>• अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं पर्यावरणीय मुद्दे</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	244-259
2.	<p>भारत की विदेश नीति</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• उद्विकास,</li> <li>• निर्धारक तत्व,</li> </ul>	259-293

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस एवं यूरोपीय संघ एवं पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध</li> <li>• संयुक्त राष्ट्र एवं क्षेत्रीय संगठन,</li> <li>• गुट निरपेक्ष आंदोलन,</li> <li>• ब्रिक्स, जी- 20, जी-77 एवं सार्क में भारत की भूमिका</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	
3.	<p>दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया एवं सुदूर पूर्व में भू-राजनीतिक</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• रणनीतिक मुद्दे</li> <li>• उनका भारत पर प्रभाव</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	294-296

## अध्याय - 2

### भारतीय संविधान की विशेषताएँ

1. भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिये गए हैं भारतीय संविधान के ऐसे कई तत्व हैं जो इससे अन्य देशों के संविधान से अलग बनाते हैं।

- 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं विशेष रूप से 7 वें, 42वें, 44 वें, 73 वें, 74 वें, 97 वें और 101 वें संशोधन में।

- संविधान में कई बार बड़े परिवर्तन करने वाले 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को 'मिनी कॉन्स्टिट्यूटशन' कहा जाता है हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती।

- **नोट :-** भारतीय संविधान का संरक्षक : उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, संघीय अदालत जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है।

**(1) सबसे लम्बा लिखित संविधान -** मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में प्रस्तावना में 470 अनुच्छेद (25 भागों में विभक्त) और 12 अनुसूचियाँ हैं।

सन् 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग (भाग- VII) को हटा दिया और इसमें करीब 95 अनुच्छेद, 4 भाग (4 क, 9 क, 9 ख, और 14 क) और 4 अनुसूचियाँ (9,10,11,12) की जोड़ा गया।

**Note :-** संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान हैं।

डॉ. अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि, "भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है।"

### संविधान

- लिखित (अमेरिका)
- अलिखित (ब्रिटेन)

### संविधान के विस्तृत होने का कारण

- भौगोलिक विस्तार व विविधता
- ऐतिहासिक (1935 अधिनियम)
- जम्मू कश्मीर का अलग संविधान
- संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व

### (2) विभिन्न स्रोतों से विहित

1. भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत - शासन अधिनियम 1935 के उपबंध से लिए डॉ. अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। "

- ढांचागत हिस्सा (1935 अधिनियम से)
- संविधान का दार्शनिक भाग
- a) मौलिक अधिकार (अमेरिका)
- b) DPSP (आयरलैंड से)

### (3) नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय

- नम्य (ब्रिटेन)
  - नम्य + अनम्य (भारत)
  - अनम्य (अमेरिका)
- नम्यता - यहाँ नम्यता से तात्पर्य लचीला से है अर्थात् जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके।  
 अनम्यता - यहाँ अनम्यता का अर्थ कठोर से है अर्थात् जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सके।

1. अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधन का प्रावधान है -

(अ) कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है उदाहरणार्थ, दोनों **सदनों** में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का दो - तिहाई बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत।

(ब) कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है।

### (4) एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था।



- भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है।
- भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं।
- भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया।
- **भारत का उल्लेख 'राज्यों के संघ' के रूप में किया गया है।**

- "राज्यों के संघ" के रूप में दो अभिप्राय हैं- पहला- भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए इस समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरे किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

### (5) सरकार का संसदीय रूप

- भारत में संसदीय प्रणाली लागू है। जो ब्रिटेन से ली गई है।
- अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली लागू है।
- भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्न हैं -  
(क) वास्तविक व नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति,  
(ख) बहुमत दल वाले की सत्ता,  
(ग) विधायिका के समय कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही,  
(घ) विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता।  
(ङ) प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व,  
(च) निचले सदन का विघटन (लोकसभा अथवा विधानसभा)

### (6) संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय

#### (इंग्लैंड में) (अमेरिका में)

- अमेरिका में 'विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है जबकि भारतीय संविधान में " विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है।
2. संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका के सर्वोच्चता का सिद्धांत, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है।
- जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है जबकि भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है।

- एक ओर जहाँ सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है।

### (7) एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका

- भारत की न्यायपालिका एकीकृत एवं स्वतंत्र है।
  - सुप्रीम कोर्ट (SC)
  - 25 हाइकोर्ट (HC)
  - अधीनस्थ कोर्ट (DC)

### (8) मौलिक अधिकार (भाग -3)

- समानता का अधिकार ( Art- 14-18 )
- स्वतंत्रता का अधिकार ( Art 19-22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (Art 23-24)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ( Art 25-28)
- संस्कृति व शिक्षा का अधिकार (Art 29-30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Art 32)
- मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है, । यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है, जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है।
- मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अनु. 20 - 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है।

- अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी अधिकार आपात काल में स्थापित हो जाते हैं।

### (9) राज्य के नीति निदेशक तत्व

1. नीति निदेशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, इनका उद्देश्य भारत में एक "कल्याणकारी राज्य" की स्थापना करना है हलांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता, इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है किन्तु

द्वारा निर्मित किया गया है और जनता ने इसे प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है।

- **वकीलों का स्वर्ग :-** कुछ आलोचकों का कथन है कि भारत का नवीन संविधान वकीलों का स्वर्ग है। उनका मत है कि भारतीय संविधान को वकीलों ने बनाया है, अतः वह वकीलों का ही हित साधन करता है क्योंकि भारतीय संविधान की भाषा और शब्दावली गूढ़, अस्पष्ट, और चातुर्यपूर्ण है। उसमें एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं और साधारण जनता उन्हें समझ नहीं पाती और वह वकीलों की साहयता लेती है जिससे वकीलों को भारी आर्थिक लाभ होता है।
  - संविधान की इस आलोचना में सत्य का कुछ अंश है परन्तु फिर भी भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहना उपयुक्त नहीं है। यह सत्य है कि संविधान निर्माता प्रसिद्ध वकील थे परन्तु वे ऐसे जनप्रिय त्यागी एवं तपस्वी नेता थे, जिनका कोई व्यवसाहिक स्वार्थ नहीं था। इसके साथ ही साथ प्रत्येक संविधान में कुछ ऐसे लेख अश्वय होते हैं जिनका स्पष्ट अर्थ केवल उच्च कोटि के विधिवेत्ता ही लगा सकता है।
- निष्कर्ष :-** संक्षेप में हम कह सकते हैं कि, संविधान एक परिवर्तन व प्रगतिशील ग्रंथ होता है। भारत के संविधान की आलोचना करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक धारा के निर्माण के समय संविधान के निर्माताओं की भावना क्या थी? वास्तव में संविधान के प्रावधानों का प्रवर्तन यदि उसकी भावना के अनुरूप किया जाये तो न तो कोई बाधा आयेगी और न ही संविधान के संदर्भ में, मन में कोई शंका ही उत्पन्न होगी।

## ❖ सम्पूर्ण अनुच्छेद एवं भाग

### भाग-1 : संघ और उसका राज्य-क्षेत्र

अनुच्छेद 1. संघ का नाम और राज्य क्षेत्र

अनुच्छेद 2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।

अनुच्छेद 3. नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।

अनुच्छेद 4. पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामिक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद के अधीन बनाई विधियाँ।

### भाग-2 : नागरिकता

अनुच्छेद 5. संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता

अनुच्छेद 6. पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार।

अनुच्छेद 7. पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार।

अनुच्छेद 8. भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार।

अनुच्छेद 9. विदेशी राज्य की नागरिकता, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता न होना।

अनुच्छेद 10. नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।

अनुच्छेद 11. संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।

### भाग-3 : मूल अधिकार

अनुच्छेद 12. राज्य की परिभाषा।

अनुच्छेद 13. मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ।

### समता का अधिकार

अनुच्छेद 14. विधि के समक्ष समता।

अनुच्छेद 15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।

अनुच्छेद 16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।

अनुच्छेद 17. अस्पृश्यता का अंत ।

अनुच्छेद 18. उपाधियों का अंत

### स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19. वाक्- स्वातंत्र्य अधिकारों का संरक्षण।

अनुच्छेद 20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि (एक अपराध के लिए एक बार सजा) के सम्बन्ध में संरक्षण ।

अनुच्छेद 21. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।

अनुच्छेद 21 (क) शिक्षा का अधिकार।

अनुच्छेद 22. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी (24 घण्टे में न्यायालय में पेश) और निवारक निरोध से संरक्षण ।

### शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23. मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम (मानव क्रय - विक्रय पर रोक) का प्रतिषेध ।

अनुच्छेद 24. कारखानों आदि में बालकों (बालश्रम की मना) के नियोजन का प्रतिषेध ।

### संस्कृति, शिक्षा संबंधित अधिकार

अनुच्छेद 29. अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।

अनुच्छेद 30. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।

अनुच्छेद 31. पहले यह सम्पत्ति का अधिकार था। वर्तमान में इसे हटा दिया गया है।

### संबैधानिक उपचारों का अधिकार

अनुच्छेद 32. इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार ।

अनुच्छेद 33. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि के लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 34. जब किसी क्षेत्र में सेना विधि की प्रवृत्ति होती है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन होता है।

अनुच्छेद 35. इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान ।

### भाग-4 : राज्य के नीति निदेशक तत्त्व

अनुच्छेद 36. राज्य की परिभाषा।

अनुच्छेद 37. इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना।

अनुच्छेद 38. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा।

अनुच्छेद 39. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्त्व (समान काम के लिए समान वेतन) ।

अनुच्छेद 39 (क) समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।

अनुच्छेद 40. ग्राम पंचायत का संगठन।

अनुच्छेद 41. कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।

अनुच्छेद 42. काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध ।

अनुच्छेद 43. कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि।

अनुच्छेद 43. (क) उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना।

अनुच्छेद 43. (ख) सहकारी समितियों का गठन।

अनुच्छेद 44. नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।

अनुच्छेद 45. बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध ।

अनुच्छेद 46. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थसंबंधी हितों की अभिवृद्धि ।

अनुच्छेद 47. पोषाहर स्तर और जीवन स्तर का ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य कर्तव्य ।

अनुच्छेद 48. कृषि और पशुपालन का संगठन।

अनुच्छेद 48 (क) पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवां की रक्षा।

अनुच्छेद 49. राष्ट्रीय महत्त्व के स्मरणों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण।

अनुच्छेद 50. कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।



अनुच्छेद 363. कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन।

अनुच्छेद 363. (क) देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत।

अनुच्छेद 364. महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध।

अनुच्छेद 365. संघ द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना।

### भाग-20 : संविधान संशोधन

अनुच्छेद 368. संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिये प्रक्रिया।

### भाग-21: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध

अनुच्छेद 369. राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 370. जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध।

अनुच्छेद 371. महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध।

अनुच्छेद 371 (क) नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।

अनुच्छेद 371 (ख) असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।

अनुच्छेद 371 (ग) मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।

अनुच्छेद 371(घ) आंध्रप्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।

अनुच्छेद 371 (ङ) आंध्रप्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना।

अनुच्छेद 371(च) सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।

अनुच्छेद 371 (छ:) मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।

अनुच्छेद 371 (ज) अरुणाचल राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।

अनुच्छेद 371 (झ) गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।

अनुच्छेद 372. विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन।

अनुच्छेद 372. (क) विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

अनुच्छेद 373. निवारक निरोध में रखे गये व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

अनुच्छेद 374. फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के और फेडरल न्यायालय में या 'सपरिषद् हिज मजेस्टी' के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध।

अनुच्छेद 375. संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना।

अनुच्छेद 376. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध।

अनुच्छेद 377. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध।

अनुच्छेद 378. लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध।

अनुच्छेद 378. (क) आंध्रप्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध।

अनुच्छेद 392. कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

### भाग- 22 : संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ (हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन)

अनुच्छेद 393. संक्षिप्त नाम  
अनुच्छेद 394. प्रारंभ।

अनुच्छेद 395. (क) हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ  
अनुच्छेद 395. निरसन।

### सारांश

- 1935 के अधिनियम में से करीब 250 उपबंधों को शामिल किया गया।
- भारतीय संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। (मूलतः संविधान)
- अमेरिकी संविधान में मूलतः केवल 7 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलियाई संविधान में 128, चीनी संविधान में 138, और कनाडाई संविधान में 147 अनुच्छेद हैं।
- 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर का अपना संविधान था और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष दर्जा प्राप्त था। 2019 में राष्ट्रपति के एक आदेश संविधान (जम्मू एवं कश्मीर पर लागू) आदेश 2019 द्वारा यह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया।

- मूलतः संविधान में सात मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी तथापि समाप्ति के अधिकार (अनु. 31) को 44 वें संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए मूल अधिकारों को हटा दिया गया इसको संविधान के भाग XII में अनु. 300-क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया।
- 1909, 1919 और 1935 अधिनियमों ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की।
- पश्चिमी देशों में मताधिकार को धीरे-धीरे विस्तार रूप दिया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व 1920 में दिया। ब्रिटेन ने 1928 में, सोवियत संघ (रूस) ने 1936, फ्रांस 1945, इटली ने 1948 और स्विट्जरलैंड ने 1971 में।
- इस समय तीन अखिल भारतीय सेवाएँ हैं - भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस)। 1947 में भारतीय नागरिक प्रशासन सेवा (आईसीएस) को आईएएस में परिवर्तित कर दिया गया और भारतीय पुलिस (आईपी) को आईपीएस में। इन्हें अखिल भारतीय सेवा के रूप में मान्यता दी गई। 1963 में आईएफएस बनाया गया, जो 1966 से अस्तित्व में आया।
- संविधान के भाग IX के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना की गई। ये तीन स्तर थे - ग्राम सभा, मध्य एवं जिला पंचायत।
- संविधान का भाग IX-क प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार के न्यायपालिकाओं की व्यवस्था करता है, ये हैं - संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद् और वृहद शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम।

### गत परीक्षाओं में आये हुए महत्वपूर्ण प्रश्न

:-

प्रश्न 1. भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मातृत्व की व्याख्या कीजिए? (RAS - 2021)

2. भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या ग्रहण किया? विवेचना कीजिए (RAS - 2013)
3. भारत में एकात्मक विशेषताओं सहित संघात्मक राज्य हैं? टिप्पणी करें? (RAS - 2013)
4. " कई चुनौतियों के बावजूद, भारत एक शक्तिशाली एवं एकीकृत राष्ट्र " रहेगा वे कौनसे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, एवं आर्थिक घटक हैं जो भारतीय एकता को सशक्त बनाते हैं? विवेचना कीजिए? (RAS - 2013)

### मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न :-

- प्रश्न 1. भारतीय संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए?
- प्रश्न 2. संविधान का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए?
- प्रश्न 3. भारत का उल्लेख राज्य के संघ के रूप में किया गया है उल्लेख कीजिए?
- प्रश्न 4. प्रान्तीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समझाइये?
- प्रश्न 5. भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता को समझाइये?
- प्रश्न 6. भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की कार्बन - कॉपी कहा है? विवेचना कीजिए?
- प्रश्न 7. सरकार के संसदीय स्वरूप को समझाइये?
- प्रश्न 8. भारतीय संविधान के स्रोतों का वर्णन कीजिए?
- प्रश्न 9. भारत और ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की तुलना करें और इनमें अंतर करें ?

- मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं, इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है।
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955) जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है।

### ● अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-

प्रश्न - 1 एक लोकतंत्र को तभी सफल और जीवित माना जाता है जब उसके नागरिक, शासन में सक्रिय भाग लेने और देश के सर्वोत्तम हित के लिये जिम्मेदारियाँ संभालने हेतु तैयार हों, कथन के आलोक में मौलिक कर्तव्यों के महत्व को रेखांकित करें?

प्रश्न - 2 मौलिक कर्तव्यों की किन आधारों पर आलोचना की जा सकती है। चर्चा करें?

प्रश्न - 3 मौलिक कर्तव्य का संक्षिप्त परिचय दें?

प्रश्न - 4 मौलिक कर्तव्यों का सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करें?

प्रश्न - 5 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों व मौलिक कर्तव्यों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए?

प्रश्न - 6 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों की विवेचना कीजिए?

प्रश्न - 7 मूल कर्तव्यों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए ?

प्रश्न - 8 वर्मा समिति की टिप्पणियों की सूची बनाइये?

प्रश्न - 9 "नैतिक मूलकर्तव्यों" के बारे में समझाइये?

प्रश्न - 10 नागरिकों के संबंध में मौलिक कर्तव्यों की विवेचना कीजिए ?

## अध्याय - 5

### राष्ट्रपति

- भारत में 'राष्ट्र प्रमुख' के रूप में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था को अपनाया गया है। ब्रिटिश क्राउन और अमेरिकी राष्ट्रपति से भिन्न, संविधान निर्माताओं ने भारतीय व्यवस्था के अनुरूप इस पद के एक संतुलित स्वरूप को अपनाया। गणतांत्रिक प्रणाली होने के कारण संविधान में 'निर्वाचित राष्ट्रपति' के प्रावधान को शामिल किया गया।

#### कार्यपालिका का प्रमुख

- मंत्रिमंडलीय कार्यपालिका में सामान्यतः दो प्रमुख होते हैं: एक 'वास्तविक प्रमुख' एवं दूसरा 'नाममात्र या औपचारिक प्रमुख'। भारत में राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख हैं। तथा राष्ट्रपति कार्यालय की प्रकृति काफी सीमा तक औपचारिक हैं।
- शासन व्यवस्था में औपचारिक प्रमुख की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है:
- राष्ट्र प्रमुख के रूप में: राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता एवं एक्युटता का प्रतीक हैं। अतः व्यवहारिक रूप से राजप्रमुख न होते हुए भी भारतीय राष्ट्रपति को राष्ट्रप्रमुख की भूमिका प्रदान की गयी है।
- दलगत राजनीति से मुक्त रखने हेतु राष्ट्रपति कार्यालय को दलगत राजनीति से ऊपर माना जा सकता है।
- प्रशासन की निरंतरता हेतु- मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल अनिश्चित होता है और यह लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। ऐसे में प्रशासन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित कार्यकाल वाले कार्यालय का होना आवश्यक है।
- संघवादी स्वरूप को बनाए रखने हेतु: भारत के संदर्भ में एक अतिरिक्त कारण, संघवाद भी है। राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति संघ के अतिरिक्त राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है।
- संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है।



- **अनुच्छेद 52 के अनुसार, भारत का एक राष्ट्रपति होगा।** यहाँ “होगा” शब्द के लिए “shall” का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान होगा। यह पद न तो कभी रिक्त रखा जा सकता है और न ही इसे कभी समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव, इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही संपन्न करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। अस्वस्थता के कारण अस्थायी अनुपस्थिति आदि के मामले में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद धारण करेगा जब तक कि राष्ट्रपति अपना पदभार पुनर्ग्रहण न करें।

### स्थायी कार्यपालिका एवं अस्थायी कार्यपालिका

**अनुच्छेद 53 (1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।**  
**विवरण**

- राष्ट्रपति, अपनी इस कार्यपालिकीय शक्ति का प्रयोग मुख्यतः दो प्रकार के अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है:
  - स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही
  - अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका
  - स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही
  - स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IPS, IFoS), प्रांतीय सेवाएँ] स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं।
  - नौकरशाही अथवा स्थायी कार्यपालिका की आवश्यकता क्यों घू
  - संविधान निर्माता ब्रिटिश शासन के दौरान अपने अनुभव से गैर-राजनीतिक एवं व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे।
  - नौकरशाही, वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियाँ जनता तक पहुँचती हैं।
  - सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले ये प्रशिक्षित एवं प्रवीण अधिकारी, नीतियों को बनाने व उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं।
  - वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में नीति-निर्माण एक अत्यंत ही जटिल कार्य बन गया है जिसके लिए

विशेषज्ञता एवं गहन ज्ञान की आवश्यकता है। इसके लिए दक्ष एवं स्थायी कार्यपालिका की आवश्यकता है।

- राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका का ध्यान सामान्यतः नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन में अल्पकालीन राजनीतिक लाभ पर केंद्रित होता है। जबकि, स्थायी कार्यपालिका दीर्घकालीन समाजिक - आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन में मंत्रियों को परामर्श देती है।
- सरकारों के बदलने के बावजूद भी स्थायी कार्यपालिका, नीतियों में निरंतरता एवं लोकप्रशासन में एकरूपता बनाए रखने का अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है।
- स्थायी कार्यपालिका एवं राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य संबंध
- संसदीय शासन प्रणाली में, राजनीतिक कार्यपालिका (मंत्रीपरिषद्, प्रधानमंत्री सहित) सरकार के प्रभारी होते हैं एवं स्थायी कार्यपालिका या प्रशासन इनके नियंत्रण एवं देखरेख में होता है।
- यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण रखे।
- राजनीतिक कार्यपालिका, जहाँ सामूहिक रूप से लोकसभा या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वहीं स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही अपने संबंधित विभागों के मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी होती है।
- नौकरशाही से यह अपेक्षा की जाती है कि यह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, अर्थात् नौकरशाही, नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण या विचारधार का समर्थन नहीं करेगी।
- लोकतंत्र में सरकारों के बदलने पर नौकरशाही की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने एवं लागू करने में मदद करें।
- हमारा संविधान राष्ट्रपति के पद का सृजन करता है किंतु शासन की प्रणाली राष्ट्रपतीय नहीं है। शासन की राष्ट्रपतीय और संसदीय प्रणाली को समझना एवं उनके भेद जानना आवश्यक है। राष्ट्रपति प्रणाली के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं:-
- राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है और साथ ही शासनाध्यक्ष भी। वह राज्य व्यवस्था में शीर्षस्थ होता है। वह वास्तव में कार्यपालक होता है, नाममात्र का नहीं। उसमें जो शक्तियाँ निहित हैं

उनका वह व्यवहार में और वास्तव में उपयोग करता है।

- सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल उसे केवल सलाह देता है यह आवश्यक नहीं है कि वह उनकी सलाह माने। वह उनकी सलाह लेकर अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है।
- राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति के पद की अवधि विधान-मंडल की इच्छा पर आश्रित नहीं है। विधान-मंडल न तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है और न उसे उसके पद से हटा सकता है।
- राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य, विधान मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति विधान-मंडल की अवधि के अवसान के पूर्व उसका विघटन नहीं कर सकता। **विधान-मंडल राष्ट्रपति की पदावधि को महाभियोग द्वारा ही समाप्त कर सकता है अन्यथा नहीं।** इस प्रकार राष्ट्रपति और विधान-मंडल नियत अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक का दूसरे में हस्तक्षेप नहीं होता।

### राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ / योग्यताएँ

**अनु. 58 के अनुसार** राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक है:

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो।
- वह संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो।

### राष्ट्रपति की पदावधि (Term of Office) (अनु. - 56)

- अनु. 56 के अनुसार, राष्ट्रपति की पदावधि, उसके पद धारण करने की तिथि से पांच वर्ष तक होती है। हालाँकि वह निम्नलिखित रीतियों से अपने कार्यकाल के दौरान ही पदमुक्त हो सकता है:
- भारत के उपराष्ट्रपति को लिखित में त्यागपत्र सौंपकर।
- अनुच्छेद - 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है।

- संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पदमुक्त किया जा सकता है। अनु. 61(1) के तहत, महाभियोग हेतु एकमात्र आधार **'संविधान का अतिक्रमण'** उल्लिखित है।
- यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति, नये राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। **यदि उपराष्ट्रपति, का पद रिक्त हों, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश (और यदि यह भी पद रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश) कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।**
- **पद रिक्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाना आवश्यक है।** वर्तमान या भूतपूर्व राष्ट्रपति, संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

### निर्वाचन प्रणाली (अनु. 55)

- भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन (अनु. 55) के लिए **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया गया है।** इस पद्धति के तहत निर्वाचन, गुप्त मतदान के माध्यम से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।
- भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक रूप से **अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया को अपनाया गया है।** (अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया सैद्धांतिक रूप से अप्रत्यक्ष जबकि व्यावहारिक रूप से प्रत्यक्ष है।)

### निर्वाचक मंडल (Electoral college)

निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं:

- **संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।**
- **राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य**
- **दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा शामिल।**
- इसका अर्थ है कि निम्नलिखित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं है:
  - लोकसभा के मनोनीत सदस्यों को
  - राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को
  - राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को



1978 के द्वारा 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' को जोड़ा गया। इस प्रकार 'आंतरिक अशांति' के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है।

राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन (अनु. 356 और 365)

- राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है।
- यह अनु. 356 के तहत दो आधारों पर लगाया जा सकता है - पहला अनु. 356 में वर्णित प्रावधानों के आधार पर जोकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के रूप में उल्लेख किया गया है। दूसरा अनु. 365 के अनुसार, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रभावी करने की विफलता के आधार पर।
- यह राष्ट्रपति की राष्ट्रपति शासन की घोषणा की शक्ति के अधीन है।
- अनु. 356 यह प्रावधान करता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पता चले कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि संबंधित राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो वह (राष्ट्रपति), राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
- जहाँ राज्य केन्द्रीय आपातकाल को लागू करने में असफल रहा है, वहाँ भी राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार की उद्घोषणा की जा सकती है। आपातकाल राज्य प्रशासन में कोई भी अव्यवस्था राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित कर सकती है, अतः राष्ट्रपति शासन का प्रावधान ऐसी स्थिति के विरुद्ध रक्षा के लिए प्रदान किया गया है।

### वित्तीय आपातकाल (अनु. 360)

- यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरों में हो तो वह (राष्ट्रपति) अनु. 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
- Note-** भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है।

### वित्तीय शक्तियाँ

- धन विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।

- अनुदान की कोई मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है।
- राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात्, केन्द्रीय बजट को संसद के पटल पर रखवाता है।
- राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से, किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है।
- राष्ट्रपति राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बँटवारे के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक वित्त आयोग (अनुच्छेद 280 के अधीन) का गठन करता है।

### राजनयिक शक्तियाँ

राष्ट्रपति को बाह्य या विदेशी मामलों में व्यापक राजनयिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। अन्य देशों के साथ संबंधों को बनाए रखने के उद्देश्य से उन देशों के लिए वह राजदूतों व उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। विदेशी राष्ट्रों के राजनयिक प्रतिनिधियों को भी अपनी पहचान राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करनी होती है। राष्ट्रपति ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों व मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। हालाँकि, वे संसद के अनुमोदन के अधीन हैं।

### सैन्य शक्तियाँ

- राष्ट्रपति, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध के प्रारम्भ या समाप्ति की घोषणा कर सकता है हालाँकि, यह संसद की अनुमति के अधीन है।

### न्यायिक शक्तियाँ

- राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है।
- अनु. 143 के अनुसार, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय से कानून या तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न, जिसमें राष्ट्रहित या लोकहित से संबंधी व्यापक महत्व का प्रश्न निहित हो, पर सलाह प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यह उच्चतम न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह सलाह दे या न दे तथा दूसरी ओर

राष्ट्रपति भी, दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।

### क्षमादान की शक्ति

संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत निहित क्षमादान इत्यादि की शक्ति राष्ट्रपति का, देश की जनता द्वारा उनमें विश्वास के रूप में निहित किया गया, एक संवैधानिक कर्तव्य है।

1. राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में किसी भी दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति रखता है -

(क) ऐसे सभी मामलों में जहाँ दंड कोर्ट मार्शल (सैन्य न्यायालय) द्वारा दिया गया हो।

(ख) ऐसे सभी मामलों में जहाँ संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित किसी भी कानून के उल्लंघन के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड दिया गया हो।

(ग) ऐसे सभी मामलों में जहाँ मृत्युदंड दिया गया हो।

2. **खंड 1 के उपखंड (क)** की कोई बात, संघ के सशस्त्र बलों के किसी अधिकारी की, सैन्य न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की, विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। इन शब्दों के अर्थ को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है:

1. **क्षमा (Pardon)** इसमें दण्ड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है और दोषी को सभी दण्ड, दंडादेशों और निरहर्ताओं से मुक्त कर दिया जाता है।

2. **प्रविलंबन (Reprieve):** इसका अर्थ है, किसी दंड (विशेष रूप से मृत्युदंड) पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को राष्ट्रपति से क्षमायाचना अथवा दंड के स्वरूप में परिवर्तन की याचना के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध करवाना है।

3. **परिहार (Remission)** इसका अर्थ है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। उदाहरण के लिए, दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा को कम करके एक वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।

4. **लघुकरण (Commutation):** इसका अर्थ है, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। उदाहरण के

लिए, मृत्यु दंड को कठोर कारावास या साधारण कारावास में बदला जा सकता है।

5. **विराम (Respite) :** इसका अर्थ है कि किसी दोषी को मूल रूप में दिए गए दंड को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना जैसे: शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं के गर्भावस्था की अवधि के कारण।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है और यह एक कार्यकारी शक्ति है। इस शक्ति के प्रयोग के दौरान राष्ट्रपति किसी अपीलीय अदालत के रूप में नहीं बैठते हैं।

राष्ट्रपति को यह शक्ति दो रूपों में प्रदान की गई है:

- कानून के संचालन में किसी भी न्यायिक त्रुटि को ठीक करने के लिए अपने द्वार सदैव खोले रखना।
- किसी ऐसे दंड से राहत के लिए जिसे राष्ट्रपति अनावश्यक रूप से कठोर समझे।
- न्यायिक समीक्षा के दायरे
- **मास राम वाद (1980)** में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषण की है कि अनु. 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इस शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है।
- **केहर सिंह वाद (1988)** में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डाला:

1. याचिकाकर्ता को सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है।

2. राष्ट्रपति न्यायपालिका द्वारा लिए गए निर्णय की जांच कर सकता है।

3. राष्ट्रपति का कार्य प्रकृति में न्यायिक नहीं माना जा सकता है। वह न्यायालय से भिन्न एवं स्वतंत्र निर्णय देते हुए भी न्यायालय के निर्णय को रद्द या गलत सिद्ध नहीं करेगा।

4. इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है।

5. न्यायालय इस शक्ति के प्रयोग के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं जारी कर सकता है।

6. राष्ट्रपति को अपने आदेश का कारण देने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

7. इस शक्ति के व्यापक आयाम हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के कई मामले राष्ट्रपति की शक्तियों की अधीन आते हैं।

सकती, इस स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।

4. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है।
5. राष्ट्रीय आपात की घोषणा से पहले राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करता है कि लिखित सलाह पर सभी मंत्रियों के हस्ताक्षर हैं अथवा नहीं।
6. राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कार्यपालिका एवं विधायक से संबंधित मामलों से सूचनाएँ मांग सकता है तथा यह प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह सूचनाएँ उपलब्ध करवाये।
7. यदि किसी अकेले मंत्री ने कोई विनिश्चय (निर्णय) कर लिया है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा कर सकता है कि उस पर मंत्रिपरिषद् में चर्चा करे।
8. वर्तमान में **मीडिया**, सोसियल मीडिया, समाज में अत्यधिक भूमिका निभा रहे हैं।
9. लोगों में राजनैतिक जागरूकता का विकास हुआ है इसलिए राष्ट्रपति यदि सरकार के कार्यों पर टिप्पणी करता है तो इसे गंभीरता से लिया जाता है और इससे सरकार पर नैतिक दबाव उत्पन्न होता है।
10. गठबंधन सरकार में प्रायः राष्ट्रपति एक से अधिक दलों के समर्थन से निर्वाचित होता है अतः राष्ट्रपति अध्यक्ष सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका निभाता है।  
उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के पास अनेक विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं इसलिए उसे रबर स्टाम्प कहना तर्कसंगत नहीं है।

### सारांश

- संविधान के भाग V के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायावादी शामिल होते हैं।
- राष्ट्रपति, भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है।
- राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है।
- राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है।

इसमें संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और दिल्ली तथा पांडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते।

- राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
- राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ( निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होना )।
- राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है। यहाँ तक की व्यक्तिगत कृत्य से भी। वह गिरफ्तार या जेल नहीं भेजा जा सकता।
- राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है।
- राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है।
- राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है हालांकि संविधान में 'संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है।
- महाभियोग एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं।
- यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त है तो उप-राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
- यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश (अथवा उसका पद



रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश ) कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वाहन करेगा।

- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे उसके प्रसादपर्यन्त कार्य करते हैं।
- भारत का राष्ट्रपति, महान्यायवादी, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है।
- राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
- वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है।
- साधारण शक्तियों के अतिरिक्त संविधान ने राष्ट्रपति को तीन परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियाँ भी प्रदान की हैं - राष्ट्रीय आपातकाल (अनु.352), राष्ट्रपति शासन (अनु.356 तथा 365) एवं वित्तीय आपातकाल (अनु. 360)
- संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसन की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इन अध्यादेशों का प्रभाव या शक्तियाँ, संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती हैं परन्तु ये प्रकृति अल्पकालीन होती हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में और यदि मृत्यु दंड का स्वरूप हो।
- राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। वह एक कार्यकारी शक्ति है परन्तु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता।

- संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है। राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं।

### ● गत परीक्षा में पूछे गये प्रश्न :-

प्रश्न 1. उन चार आधारों का उल्लेख कीजिए जिन पर भारत का राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को **पदच्युत** कर सकता है? (RAS - 2016)

प्रश्न 2. राष्ट्रपति की निर्वाचकीय प्रक्रिया में कमियों का वर्णन कीजिए? (RAS - 2018 )

### मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न :-

प्रश्न 1. औपचारिक प्रमुख होने के बावजूद भारतीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है" टिप्पणी करें ?

प्रश्न 2. भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति का उल्लेख करें?

प्रश्न 3. यदि राष्ट्रपति द्वारा मृत्युदंड प्राप्त दोषी की याचिका खारिज कर दी जाती है तब भी उसके पास न्यायिक विकल्प मौजूदा रहता है उपर्युक्त वादों के माध्यम से इस कथन की पुष्टि कीजिए?

प्रश्न 4. राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का वर्णन कीजिए?

प्रश्न 5. राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली की व्याख्या कीजिए?

प्रश्न 6. राष्ट्रपति की **वीटो** पावर के बारे में बताइये?

प्रश्न 7. राष्ट्रपति के पद के लिए उपर्युक्त योग्यताएं एवं अर्हताओं के बारे में जानकारी दीजिये?

प्रश्न 8. राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए?

प्रश्न 9. राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन कीजिए?

प्रश्न 10. भारत का राष्ट्रपति ' रबर स्टाम्प मात्र ' है, तर्क सहित विवेचना कीजिए?

प्रश्न 11. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का वर्णन कीजिए?

## अध्याय - 18

### राजस्थान की राज्य राजनीति


#### राज्य की राजनीतिक व्यवस्था (परिचय)

#### राज्य की परिभाषा -

अरस्तु के अनुसार - "राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है इसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।"

सिसरो के शब्दों में - "राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्य को उस समुदाय के लाभों को परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है।"

बुडरो विल्सन - "किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं।"  
 ब्लशली - "किसी निश्चित भू प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है।"



#### राज्य के तत्व

1. जनसंख्या (population) - राज्य में जनसंख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें कोई व्यक्ति नहीं रहता हो। इसलिए एक राज्य को राज्य तभी कहा जा सकता है जब उसमें एक निश्चित मात्रा में जनसंख्या हो।

2.- निश्चित क्षेत्र या भूभाग (territory)- राज्य के लिए एक निश्चित भू-भाग होना आवश्यक है। निश्चित भू-भाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है, जनसंख्या की तरह ही निश्चित भू-भाग के बिना भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।

3.- सरकार (government)- राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व राज्य में सरकार या शासन का होना है। सरकार को राज्य की आत्मा कहा जाता

है। किसी निश्चित भू-भाग पर रहने वाले लोगों को तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता, जब तक वहां कोई शासन न हो। ऐसी संस्था का होना आवश्यक है जिसका आदेश मानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो।

4.- संप्रभुता (sovereignty) - संप्रभुता राज्य होने की पहचान है। किसी समाज में अन्य तीन तत्वों के होने पर भी जब तक उसमें संप्रभुता न हो वह राज्य नहीं बन सकता राज्य में। नियमों को लागू करने वाली एजेन्सी हो सकती है परन्तु संप्रभुता नहीं हो सकती। संप्रभुता केवल राज्य की ही विशिष्टता है और यह राज्य का आवश्यक अंग भी है।

## राज्यपाल

- भारतीय संविधान के भाग-VI में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- **अनुच्छेद 153** के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 154** के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है लेकिन **अनुच्छेद 163** के तहत राज्यपाल अपनी स्व-विवेक शक्तियों के अलावा सभी कार्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर करता है अर्थात् राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में निहित होती है।
- **अनुच्छेद 155** के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) जारी करते हैं जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।
- **राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 'कनाडा' से लिया गया है।**

संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गईं जो निम्न हैं -

- (i) संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।
- (ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि समय दानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो

## राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिश

### सरकारिया आयोग

गठन-1983 रिपोर्ट- 1987 अध्यक्ष- रणजीत सिंह सरकारिया

#### सिफारिश -

- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।
- राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
- सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं ले रहा हो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए।
- 5 वर्ष की निश्चित पदावली हो।
- राज्यपाल को हटाए जाने से पूर्व एक बार चेतावनी देनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।

### द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में गठित। वर्ष 2010 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया।

#### सिफारिश -

- इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में **कॉलेजियम व्यवस्था** होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे लेकिन सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था।

### पूछी आयोग

गठन-2007 रिपोर्ट- 2010 अध्यक्ष- मदनमोहन पूछी

#### सिफारिश -

- केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु गठित पूछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया।
- राज्यपाल को किसी भी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए।
- राज्य की विधानसभा में पारीत विधेयक पर राज्यपाल को 6 माह में निर्णय लेना चाहिए।



## राजमन्त्र आयोग

गठन-1969 रिपोर्ट- 1971 अध्यक्ष- डॉ. वी.पी. राजमन्त्र

**NOTE-** सरकारी आयोग, राजमन्त्र आयोग व पूंछी आयोग का सम्बन्ध राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र-राज्य संबंधो से है ।

**अनुच्छेद 156** इस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि/ कार्यकाल का उल्लेख लिया गया है। अर्थात् राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा।

- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है तथा राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है।
- राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।
- राज्यपाल को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।
- राज्यपाल अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर ले।
- राज्यपाल को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है ।

**अनुच्छेद 157** राज्यपाल पद योग्यताएँ/ अर्हताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।(जन्म से आवश्यक नहीं)
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. और वह राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य हो।

**अनुच्छेद 158** राज्यपाल पद की सेवा शर्तें व वेतन भत्ते

1. किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो।
2. यदि संसद या विधानामंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल का पद धारण करने की तिथि से वह पद रिक्त मान लिया जाएगा।
- राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद (संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित) करती है।

- राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से जबकि पेंशन भारत की संचित निधि में से दी जाती है।
- राज्यपाल का वेतन ₹350000 है जो कर मुक्त होता है।
- पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है।
- यदि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है (7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा ) तो भी उसे वेतन 1 पद का होगा परंतु इसका वहन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा।

**अनुच्छेद 159** राज्यपाल पद की शपथ

- राज्यपाल या राज्यपाल पद के कार्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को राज्यपाल पद की या राज्यपाल पद के कार्य निर्वहन की शपथ **संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है** राज्यपाल संविधान के परिश्लेषण, संरक्षण व प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता के कल्याण के शपथ लेता है।

**NOTE-** राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची- 3 में नहीं मिलता है।

**अनुच्छेद 160** कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन

राज्यपाल पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य लरने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाएगी जैसे- राज्यपाल पद के खाली होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल पद का कार्यों का निर्वहन करना।

**राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां -**

1. **कार्यपालिका संबंधी कार्य -**
  - **अनुच्छेद 166** के तहत राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं अर्थात् राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है।
  - **अनुच्छेद 164** के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा उसकी सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद के

में यूरो 19 देशों में चलती है। यूरो मुद्रा एक जनवरी 2002 से पूरे यूरोप में प्रचलन में आई थी।

### भारत और यूरोपीय संघ के संबंध

**परिचय:-** भारत और यूरोप का संबंध सन 1960 ईस्वी से शुरू हुआ था। भारत निर्यात के लिए यूरोपियन संघ का सबसे बड़ा गंतव्य है। दोनों के बीच 1994 में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में एक सहयोग हस्ताक्षर हुआ था। अब तक दोनों के बीच 15 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं जिसमें 2000 ईस्वी का शिखर सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्च 2016 में भारत यूरोपीय संघ 2020 एजेंडा अपनाया गया जिसमें दोनों के बीच परमाणु सहयोग, निवेश, इंटरनेट प्रशासन, जलवायु परिवर्तन, 5G संचार जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए एक रोडमैप तैयार किया गया था। इसके बाद 2017 में आतंकवाद, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए दोनों देश सहमत हुए थे। सन 2018 यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 115.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है। मौजूदा समय में 7000 से अधिक यूरोपीय संघ की कंपनी भारत में कार्यरत हैं जो दवाई से लेकर लड़ाकू विमान तक का निर्माण करती हैं और इसके साथ ही भारत में लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रही हैं।

**राजनीतिक संबंध:-** भारत यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री समय-समय पर वार्ता करते रहते हैं जो कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को मजबूत बनाता है। दोनों एशिया यूरोप सम्मेलन में बराबर वार्ता करते रहते हैं। 2016 के शिखर सम्मेलन में भारत यूरोपीय संघ ने मिलकर संयुक्त रूप से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई पर भी घोषणा की थी। इसके अलावा सुरक्षा स्तर पर प्रवाह और गतिशीलता पर एक उच्चस्तरीय संवाद स्थापित भी किया गया है। 2007 में यूरोपीय संसद में औपचारिक रूप से भारत के साथ संबंध के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का गठन भी किया गया था। हाल ही में 6 अक्टूबर 2017 को दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ का 14 वां शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था।

15 वां भारत - ई. यू. शिखर वार्ता वर्चुअल रूप से जुलाई 2020 में हुई।

**आर्थिक सहयोग और व्यापार:-** यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक भागीदार है जबकि भारत यूरोपीय संघ का नौवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2016 में दोनों देशों के बीच कुल 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था जिसमें भारत का निर्यात 86 बिलियन डॉलर था और भारत का आयात 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2000 से 2017 तक 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत में यूरोपीय संघ से एफडीआई आया था जो कि भारत के कुल एफडीआई का एक चौथाई भाग था। समय-समय पर दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार पर चर्चा होती रहती है। पूर्व में यूरोप का ध्यान तथा एशिया का सबसे बड़ा बाजार चीन था। जबकि भारत यूरोप को एक व्यापारिक समूह के रूप में देखता था। इसके बाद नई रणनीति और शक्ति संतुलन संबंधी वास्तविकताओं ने दोनों की आपसी भागीदारी को बढ़ावा दिया है। ब्रेक्जिट के बाद जब से ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ की सदस्यता को त्याग कर दिया है उसके बाद यूरोपीय संघ और भारत दोनों नए सिरे से व्यापार और राजनीतिक सहयोग की शुरुआत फिर से कर रहे हैं क्योंकि जब ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य था तब चीन अपना व्यापार ब्रिटेन के साथ बड़े पैमाने पर करता था जिसके कारण भारत को कई तरह की कठिनाइयां आती थी। यूरोप में अपना व्यापार करने में अब भारत और यूरोपियन संघ दोनों ही ब्रिटेन के बिना इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

### विज्ञान प्रौद्योगिकी और ऊर्जा समिति:-

भारत और यूरोपीय संघ मुख्यता ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी कृषि डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज उच्च शिक्षा समिति में शामिल है। जी-20 में शुरू से ही भारत और यूरोप एक घनिष्ठ मित्र रहा है और आर्थिक नीतियों एवं संरचनात्मक सुधारों के लिए दोनों नियमित रूप से व्यापक आर्थिक वार्ता करते रहते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ऊर्जा सहयोग में भी कुछ वर्षों से अत्यधिक सदृश हुआ है। वर्तमान में दोनों स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु के मुद्दे पर आपस में साझेदारी कर रहा है। इन दोनों देशों के बीच हुई पेरिस समझौते और यूएनएफसीसीसी बहुत ही प्रभावशाली रहा है वहीं अमेरिका इस से अपना नाम



वापस ले रहा है। इसी तरह हाल ही में स्मार्ट शहरीकरण के लिए भारत यूरोपियन संघ साझेदारी हुई है जिसके प्रथम चरण में मुंबई-पुणे एवं चंडीगढ़ जैसे भारतीय शहरों को रखा गया है। 2016 में स्टार्टअप यूरोप इंडिया नेटवर्क का प्रारंभ हुआ है जिसमें डिजिटल इंडिया को डिजिटल सिंगल मार्केट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

**सामरिक भागीदारी:-** भारत और यूरोप संघ दोनों के संबंध शुरू से ही सामरिक भागीदारी में अच्छे रहे हैं। दोनों सैन्य संबंधों को अच्छे करने के लिए समय-समय पर वार्ता और युद्ध अभ्यास करते रहते हैं। इस भागीदारी के अंतर्गत हाल ही में यूरोपियन संघ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल में भारत के सैन्य सलाहकार को और भारत में यूरोपियन संघ के सैन्य सलाहकार को नियुक्त करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद से लड़ने, कट्टरपंथ का मुकाबला करने जैसे मुद्दों से निपटने के लिए दोनों के बीच तकनीकी संबंध और भी मजबूत होते जा रहे हैं।

**समुद्री सहयोग:-** भारत और यूरोपीय संघ के रणनीति पत्र समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास चलती आ रही है। इसके साथ ही समुद्री राष्ट्रों के क्षमता निर्माण में सहायता करने हेतु भारत एवं दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्रीय देशों के साथ कार्य करने हेतु ध्यान केंद्रित किया जाता है।

**निष्कर्ष:-** यूरोपीय संघ क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा व आर्थिक संरचना में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका देखता है। इसलिए वह भारत से अपने संबंध मजबूत बनाए रखता है। यूरोपीय संघ यह जानता है कि अगर एशिया में चीन को प्रति संतुलित करना है तो भारत ही एक ऐसा देश है जिससे चीन को प्रति संतुलित किया जा सकता है। इसी वजह से यूरोपीय संघ भारत से अपने संबंध मजबूत बनाए रखता है।

### **ब्रेक्जिट क्या है?**

हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ से अपनी सदस्यता को वापस ले लिया है। ब्रिटेन 1973 में 6 राष्ट्रों वाले यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हुआ था और हाल ही में 46 वर्षों के बाद यूरोपीय संघ से अपनी सदस्यता वापस ले ली है।

शुरू से ही ब्रिटेन के संबंध यूरोपीय सहयोगी देश से अच्छे थे परंतु यूरो जोन आर्थिक संकट के बाद ब्रिटेन में ब्रेक्जिट से संबंधित चर्चा होने लगी। इसके मुख्य रूप से तीन कारण थे जो कि आर्थिक सुरक्षा लोकलुभावन राष्ट्रवाद और ब्रिटिश एक्स्पैशनलिज्म हैं।

### **BREXIT के कारण :-**

- यूरोपियन संघ एक राजनीतिक संघटन है जिसके नियमों व कानूनों का पालन ब्रिटेन को करना पड़ता है। जिससे उसकी संप्रभूता प्रभावित होती है।
- पूर्वी यूरोप के प्रवासियों की बड़ी संख्या यूके में प्रवेश करती है जो U.K में रोजगार के अवसरों को प्रभावित करती है।
- ब्रिटेन E.U के बजट में योगदान करता था। परंतु इसके भुगतान में लाभ प्राप्त नहीं करता था।
- 23 जून 2016 को ब्रेक्जिट के मुद्दे पर जनमत संग्रह करवाया गया जिसमें 51.9% लोगों ने ब्रेक्जिट का समर्थन किया।
- लिस्बन संधि के आर्टिकल 50 के अनुसार ब्रेक्जिट की प्रक्रिया को शुरू किया गया।
- 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन अधिकारिक तौर पर ई.यू. से बाहर हो गया।

### **भारत पाकिस्तान**

बहुत लम्बे समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत न होने का एक कारण यह था कि भारत यह चाहता था कि पाकिस्तान के साथ पहले आतंकवाद के मुद्दे पर बात हो जबकि पाकिस्तान की प्राथमिकता कश्मीर पर बातचीत की थी SAARC की एक बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह तय किया की सभी विवादित मुद्दों पर एक साथ चर्चा होगी इस प्रकार Composite dialogue की उत्पत्ति हुई। प्रारम्भ में इसमें 8 मुद्दे थे, दिसंबर 2015 में इसे comprehensive dialouge का नाम दिया गया जिसमें 10 मुद्दे थे।

1 Most Favoured Nation (MFN)

2 Wullar barrage→ इसे तुलबुल परियोजना भी कहते हैं।

3 Siachin

4 Sir Creek

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

**RAS PRE.** - [https://www.youtube.com/watch?v=p3\\_i-3qfDy8&t=1253s](https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s)

**Rajasthan CET Gradu. Level** - <https://youtu.be/gPqDNlc6UR0>

**Rajasthan CET 12th Level** - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>

**VDO PRE.** - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

**Patwari** - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

**PTI 3<sup>rd</sup> grade** - [https://www.youtube.com/watch?v=iA\\_MemKKgEk&t=5s](https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s)

**SSC GD - 2021** - <https://youtu.be/2gzfJyt6vl>

<b>EXAM (परीक्षा)</b>	<b>DATE</b>	<b>हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या</b>
<b>RAS PRE. 2021</b>	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
<b>SSC GD 2021</b>	16 नवम्बर	68 (100 में से)
<b>SSC GD 2021</b>	30 नवम्बर	66 (100 में से)
<b>SSC GD 2021</b>	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
<b>राजस्थान S.I. 2021</b>	14 सितम्बर	119 (200 में से)
<b>राजस्थान S.I. 2021</b>	15 सितम्बर	126 (200 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)

whatsa pp- 1 <https://wa.link/9qwi7z>

web.- <https://bit.ly/4lwfgPD>

<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्तूबर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	103 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	24 अक्तूबर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	91 (150 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसंबर (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	59 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसंबर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	61 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	28 दिसंबर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	57 (100 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	14 नवम्बर 2021 1 <sup>st</sup> शिफ्ट	91 (160 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	21 नवम्बर 2021 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	89 (160 में से)
<b>Raj. CET Graduation level</b>	07 January 2023 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	96 (150 में से)
<b>Raj. CET 12<sup>th</sup> level</b>	04 February 2023 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	98 (150 में से)

**& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.**

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

**नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें**



**Whatsapp - <https://wa.link/9qwi7z>**

**Online order - <https://bit.ly/4lwfgPD>**

**Call करें - 9887809083**

whatsa pp- 2 <https://wa.link/9qwi7z>

web.- <https://bit.ly/4lwfgPD>